<u>न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–चतुर्थ, सहारनपुर</u>

CNR No. UPSP040261642026

सरकार बनाम अरविन्द

धारा - 60 आबकारी अधिनियम
थाना- रामपुर मनिहारन, जिला- सहारनपुर
मु.अ.स – 11 / 2023

<u>30.04.2026</u>

मु.अ.स – 11 / 2023, अन्तर्गत धारा - 60 आबकारी अधिनियम, थाना- रामपुर मनिहारन , जिला - सहारनपुर के अन्तर्गत अभियुक्त **अरविन्द** की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का स्थायी निवास है। प्रार्थी अपनी जमानत कराना चाहता है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी न्यायालय की संतुष्टि अनुसार उचित जमानती पेश करने को तैयार है। प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को
सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है एवं अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उक्त धाराओं में कारित अपराध जमानतीय प्रकृति के एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **अरविन्द** द्वारा **25,000 /- रुपये** का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र व समान धनराशि का एक <u>विश्वसनीय प्रतिभू</u> दाखिल करने पर अवमुक्त किया जाता है।

-

(मीनल चावला)
J.O. Code– UP2448
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट– चतुर्थ
सहारनपुर